कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक--वा0क0अधि0 / युगल पीठ / 1233 /2022.लखनऊःदि0::अगस्त, 18 ,2022

--::संशोधित आदेश ::--

मुख्यालय के आदेशांक–1005 / 22 दिनांक 13.07.2022 द्वारा माह–अगस्त 2022 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया था। सदस्य पीठ--1 मेरठ ने अपने पत्र संख्या–271 / 22 दिनांक 08.08.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उन्हें 05 दिवसीय मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट प्रोग्राम / प्रशिक्षण हेतु इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली में दिनांक 29.08.2022 से 02.09.2022 तक उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–364 / 22 दिनांक 28.07.2022 द्वारा नामित किया गया है तथा इसी मध्य दिनांक 29.08.2022 से 31.08.2022 तक उन्हें युगल पीठ सहारनपुर में भी नामित किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में सदस्य पीठ–1 मेरठ द्वारा उन्हें उक्त युगल पीठ से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

सदस्य पीठ–1 बरेली ने अपने पत्र संख्या–196 / 22 दिनांक 06.08.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या–380 / 22 दिनांक 05.08.2022 द्वारा दिनांक 12.09.2022 से 16.09.2022 तक एडीशनल डिस्ट्रिक एण्ड सेशन जजेस् की ट्रेनिंग हेतु लखनऊ में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया है। उक्त अवधि में बरेली में गठित युगल पीठ दिनांक 14.09.2022 से 16.09.2022 की तिथि परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

सदस्य पीठ–3 कानपुर ने अपने पत्र संख्या–402 / 22 दिनांक 08.08.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें दिनांक 26.09.2022 से 28.09.2022 तक झांसी पीठ की युगल पीठ हेतु नामित किया गया है परन्तु विगत माहों से उनका स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण एवं अन्य पारिवारिक परेशानियों के कारण झांसी में गठित युगल पीठ से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त सभी पत्रों में दर्शायी गयी परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरांत पूर्व पारित युगल पीठ आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न आदेश पारित किए जाते हैं।

कम सं0	बैठने का स्थान	कार्य–आवंटन	कार्य–अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य	
01	02	03	04	05	
1.	पीठ–सहारनपुर	पीठ–सहारनपुर	दिनांक 29.08.22 से 31.08.22	पीठ–1 नोएडा पीठ–सहारनपुर	न्यायिक विभागीय
2.	पीठ–बरेली	पीठ–बरेली	दिनांक 26.09.22 से 28.09.22	पीठ–बरेली पीठ–मुरादाबाद	न्यायिक विभागीय
3.	पीठ–झांसी	पीठ–झांसी	दिनांक 26.09.22 से 28.09.22 गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।	निरस्त	
4.	पीठ–1 नोएडा	पीठ–1,2 नोएडा	दिनांक 17.10.22 से 21.10.22	पीठ–1 नोएडा पीठ–2 नोएडा	न्यायिक विभागीय

ह0 / 18.08.2022
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकनः:वा0क0अधि0 / युगल पीठ / 1233 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–सहारनपुर, पीठ–1 मेरठ, पीठ–बरेली, पीठ–मुरादाबाद, पीठ–3 कानपुर, पीठ–झांसी तथा पीठ–1 / 2 नोएडा।
2. मुंसरिम / वैयक्तिक सहायक / पेशकार / वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता) / विवरण / कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,
(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/युगल पीठ/ /2022 दि0::लखनऊ::दि0::अगस्त 18,2022

–:: आदेश ::–

मुख्यालय के आदेश संख्या–1233/2022 दिनांक 18.08.2022 द्वारा सहारनपुर पीठ में लम्बित युगल पीठ के वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 29.08.2022 से 31.08.2022 तक सदस्य पीठ–1, नोएडा एवं सदस्य पीठ–सहारनपुर की युगल पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य पीठ–1, नोएडा ने अपने पत्र संख्या–403/2022 दिनांक 18.08.2022 द्वारा सूचित किया है कि मा0 उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–380 दिनांक 05.08.2022 द्वारा उन्हें दिनांक 29.08.2022 से 02.09.2022 तक रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जे0टी0आर0आई0 लखनऊ में नामित किया गया है। अतएव सहारनपुर में गठित युगल पीठ से उन्हें मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उपरोक्त सम्यक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 29.08.2022 से 31.08.2022 तक सहारनपुर पीठ में गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।

मुख्यालय के आदेश संख्या–1233/2022 दिनांक 18.08.2022 की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/18.08.2022
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1234 /2022. तद्दिनांकः:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–सहारनपुर ।
2– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, नोएडा ।
3– प्रधान सहायक/व0सहा(या0भ0)/विवरण/कम्प्यूटर, मुख्यालय ।
4– सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।